आदेश की क्रम सं० एवं आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी ता० सहित
1	2	3

27.08.2019

न्यायालय अन्तर्गत उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार, साहेबगंज।

मुटेशन अपील वाद सं0–13/2017–18

भोला मंडल वगैरह–बनाम–राम विलास ठाकुर वगैरह

अपीलार्थीगण

1. भोला मंडल, 2. वटेशवर मंडल, 3. दासू मंडल, 4. धनश्याम मंडल एवं आशिष कुमार मंडल, सभी पिता–दीनानाथ मंडल, सा0–किसन प्रसाद, थाना–साहेबगंज (मु0), जिला–साहेबगंज नगर।

विपक्षी

1. रामविलास ठाकुर, पिता–जिछु ठाकुर एवं 2. शिव पूजन ठाकुर पिता–रामविलास ठाकुर, दोनों साकिन–लालबथानी, थाना–साहेबगंज (मु0) जिला–साहेबगंज।

–: आदेश :–

यह अपीलवाद अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के आलोक में दिनांक–27.03.2018 को अंचलाधिकारी, साहेबगंज के मुटेशनवाद के आदेश तिथि–10.10.17, मुटेशनवाद सं0–262/2017–18 के विरूद्ध वाद दायर किया गया। अपील के अंगीकरण के बिन्दु पर विलम्बक्षान्त हेतु आवेदन पत्र पर सुनने के पश्चात् विलम्बक्षान्त करते हुए अपीलवाद को अंगीकृत किया गया। उभय पक्ष को न्यायालय द्वारा नोटिस करते हुए तामिला कराई गई तथा अंचल अधिकारी, साहेबगंज से उक्त मुटेशनवाद मूल अभिलेख की मांग की गई। अंचलाधिकारी, साहेबगंज ने पत्रांक–486/रा0, दिनांक–09.07.2018 द्वारा इस न्यायालय को याचित मूल अभिलेख उपलब्ध कराया गया। मूल अभिलेख की प्राप्ति पश्चात् उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी के पिता (लेख्यधारी) दीनानाथ मंडल को विपक्षी नं0–01 एक राम विलास ठाकुर (लेख्यकारी) ने विवादित जमीन मौजा–लालबथानी, ज0नं0–643, कुल रकवा में से 04–00–00 (चार बीधा) शरती (शर्ती) केवाला द्वारा कुल नगद राशि–9,500=00 (नौ हजार पांच सौ) रूपये लेकर दिनांक–24.03.1992 रजिस्टर्ड केवाला किया है। इसलिए अपीलार्थीगण के अपील आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हुए अंचलाधिकारी, साहेबगंज को नामान्तरण करने से संबंधित आदेश देने का अनुरोध किया है।

इसके प्रतिउत्तर में विपक्षी (उत्तरवादी) के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी नं0–01 एक (रामविलास ठाकुर) ने उक्त विवादित जमीन को मात्र फसल खाने के वास्ते सूद भरना पर दिनांक–24.03.1992 से 23.03.1998 तक के लिए सूद भरना केवाला बनवाना था जिसके बदले अपीलार्थी के पिता–दीनानाथ मंडल ने जालसाजी कर शरती केवाला बनवाया गया जो बिलकुल गलत एवं जालसाजी है। विपक्षी रामविलास ठाकुर पढ़ा–लिखा नहीं है। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कहना है कि विपक्षी न0–01 एक के पिता– जिछु ठाकुर के नाम से मौजा–लालबथानी, ज0न0–643, कुल रकवा–04–14–10 (चार बीधा चौदह कट्ठा दस धूर) धूर भूमि सरकारी सिरिस्ता में दर्ज है जिसका वर्ष 2017–18 तक का राजस्व रामविलास ठाकुर द्वारा जमा किया गया है, साथ ही दिनांक–24.03.1998 को दीनानाथ मंडल (अपीलार्थी के पिता) ने उक्त राशि 9500/-. रू0 लेने से इनकार कर दिया।

उत्तरवादी (विपक्षीगण) के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कथन है कि जिछु ठाकुर की वंशावली के आधार मात्र आधी जमीन का ही मालिक जिछु ठाकुर है तथा आधी जमीन का

Scanned with CamScanner

क्रमांक एवं आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर
1	2

हिस्सेदार (मालिक) उनका गोतिया लोगों का है। इस आधार पर भी केवाला नहीं लिख सकते है। अतएव विपक्षीगण और विपक्षीगण के गोतिया रामधनी ठाकुर वगैरह द्वारा कोई शरति केवाला नहीं बनाया गया है। इसलिए अपीलार्थीगण का अपील आवेदन खारिज करने योग्य है।

अतः उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं के सुनने के पश्चात् एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अंचलाधिकारी, साहेबगंज द्वारा अस्वीकृत किया गया मुटेशन वाद सं0–262/2017–18, आदेश तिथि 10.10.17 बिलकुल नियमतः वैध एवं सही है। क्योंकि नामान्तरण हेतु बिक्री केवाला (sale Decd) चाहिए न कि शरति केवाला। अतएव अपीलार्थीगण के अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत एवं खारिज करते हुए अंचल कार्यालय, के मुटेशन आदेश तिथि 10.10.17, मुटेशन वाद सं0–262/2017–18 को बरकरार/यथावत् रखा जाता है। अपीलार्थीगण चाहे तो सक्ष्म न्यायालय में इस वाद के विरूद्व अपील दायर कर सकते है।

आदेश की प्रतिलिपि के साथ निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख अंचलाधिकारी, साहेबगंज को वापस करें। अभिलेख की कार्रवाई बन्द (समाप्त) की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।

उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।

ज्ञापांक 40/डी.सी.साहेबगंज, दि० 28.9.19

प्रतिलिपि :- अंचलाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :-

1. अंतिम आदेश की प्रतिलिपि।
2. वादसं.-262/2017-18 (दीनानाथ मंडल, पि०-स्व० लोचन मंडल, साo- किसान प्रसाद) का मूल अभिलेख। कुल - 56 (छप्पन) पन्ने में।

उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।
28.9.19

Scanned with CamScanner